बैंक के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षण/नॉन कोर बिजनेस (बी.सी. सुपरवाईजर/एन.पी.ए. सुपरवाईजर/फैकल्टी मेम्बर) हेतु सूचीबद्ध करने विषयक

समवर्ती लेखा परीक्षण/नॉन कोर बिजनेस (बी.सी. सुपरवाईजर/एन.पी.ए. सुपरवाईजर/फैकल्टी मेम्बर) कार्य के लिये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक/भारतीय स्टेट बैंक/ अन्य वाणिज्यिक बैंकों से सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित है। आवेदन के लिये पात्रता मापदंड निम्नानुसार है-

1) बैंक से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक/अन्य बैंकों की सेवा से दिनांक 31/08/2023 की तिथि पर अधिकारी वर्ग-2, अधिकारी वर्ग-3, अधिकारी वर्ग-4 एवं अधिकारी वर्ग-5 पद से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हों एवं दिनांक 31/08/2023 को उनकी आयु 64 वर्ष से अधिक न हो।

   अधिकारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र जैसे कारणों से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही सेवा त्याग किया है, वे अधिकारी इस योजना हेतु पात्र नही होंगे ।

2) अधिकारी के बैंक सेवाकाल मे उनके विरूद्ध दण्ड जारी न किये गए हों, अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो एवं अधिकारी के विरूद्ध सीबीआई अथवा अन्य संस्था में जांच लंबित न हो।

3) सामान्यतः स्वस्थ एवं यात्रा आदि में सहज समर्थ हो ।

4) अधिकारी को कम से कम 5 वर्षों का ऋण से संबंधित कार्यो का अनुभव होना चाहिये। बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक, सतर्कता, विभागीय कार्यवाही विभाग अथवा/एवं/या ऑडिट-निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस योजना में पात्र होंगे भले ही उनकी सेवा अनुभव की यह पात्रता अवधि 2 वर्ष ही हो ।

5) भूतपूर्व अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य अंशकालिक कार्य में संलग्न हैं वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। किन्तु उन्हें बैंक द्वारा सौंपे गए कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा ।

6) गोपनीयता संबंधी शपथ पत्र एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

अन्य नियम एवं शर्तें

1) भूतपूर्व अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष की अवधि हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा, तत्पश्चात कार्य की समीक्षा के आधार पर कार्य का आवंटन किया जायेगा।

2) सूचीबद्ध होने को किसी भी उद्देश्य के लिये पुनः नियोजन नही माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाए निम्नलिखित कारणों से सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है -

   अ) यदि वे सौंपे गए कार्य को सम्पादित करने में असफल होते हैं या सौंपे गए कार्य के निष्पादन का स्तर संतोषजनक नही हो या प्रायः विलंब होता हो ।

   ब) ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के विषय पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है ।

--2--

3) सूचीबद्ध अधिकारियों को नियोजन हेतु वचन पत्र/शपथ पत्र देना होगा । इसमें गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण संबंधी, निकट संबंधियों की जानकारी आदि के प्रावधान भी होंगे ।

4) सूचीबद्ध अधिकारियों को दैनिक आधार पर पारिश्रमिक (जिस कार्यदिवस को कार्य किया गया जायेगा उक्त दिवस का ही) भुगतान किया जायेगा, विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	प्रस्तावित पारिश्रमिक (किये गये कार्यदिवस को प्रतिदिन)
1	अधिकारी वर्ग-I	₹ 1500/-
2	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 1700/-
3	अधिकारी वर्ग-IV	₹ 1900/-
4	अधिकारी वर्ग-V	₹ 2500/-

5) सूचीबद्ध अधिकारियों के द्वारा शाखा भ्रमण एकमुश्त राशि का भुगतान उनके द्वारा तय की गयी दूरी के आधार पर किया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है :

क्र	दूरी	राशि
1	0-50 km	₹ 200 /-
2	51-200 km	₹ 600 /-
3	Above 201	₹ 800/-

6) **विराम भत्ता -ऐसे सेवानिवृत्त सेवायुक्त जिस स्केल से सेवानिवृत्त हुए हैं, उस स्केल के लिए वर्तमान में विराम भत्ता की दर (सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अधीन) से देय होगा जोकि निम्नानुसार है-**

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	विराम भत्ता (लॉजिंग)
1	अधिकारी वर्ग-I	₹ 960/-
2	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 960/-
3	अधिकारी वर्ग-IV	₹ 1500/-
4	अधिकारी वर्ग-V	₹ 1500/-

7) सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सतत अनुश्रवण/समीक्षा की जावेगी। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत प्रतिवेदन वांछित गुणवत्ता युक्त न पाए जाने पर उन अधिकारियों को भविष्य में कार्य नहीं सौंपे जायेंगे।

8) सूची में शामिल हो जाने मात्र से भूतपूर्व अधिकारी काम पाने का अधिकारी नहीं होगा। कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा ।

9) सूचीबद्ध अधिकारियों अपने देयक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा देयक की जांच कर पात्रतानुसार राशि व्यय खाते को नामें कर संबंधित अधिकारी के खाते में जमा की जायेगी। इसमें नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रण हेतु मासिक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय प्रेषित करेंगे।

--3--

10) सूचीबद्ध अधिकारियों को अन्य नियम एवं शर्तें के बिन्दु क्रमांक 4, 5 एवं 6 में उल्लेखित दरों पर पारिश्रमिक एवं यात्रा/विराम भत्ता के अलावा कोई भुगतान नही किया जायेगा ।

11) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमे वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा ।

12) सूचीबद्ध अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नही कर सकेंगे ।

13) यद्यपि सूचीबद्ध अधिकारी की, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम, कोर बैंकिंग प्लेटफार्म तक पहुंच नही होगी। तथापि वे शाखा प्रबंधक के सहयोग से अंकेक्षण हेतु आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकेंगे ।

14) सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रू 25000/- (रू पच्चीस हजार मात्र) एस.टी.डी.आर के रूप में संयुक्त नाम से जमा करना होगा ।

15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई कार्य है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपना आवेदन (संलग्न प्रारूप में) अपने फोटोग्राफ, डाक का पता, मोबाईल/लैंडलाईन नंबर और ई-मेल पता के साथ दिनांक 13/10/2023 को सायं 5:30 pm तक जमा करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नही किये जायेगें।

पत्राचार का पता निम्नानुसार है :-

महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक,
कॉर्पोरेट कार्यालय
प्लाट न. 47, सेक्टर 24,
अटल नगर, नया रायपुर(छ.ग.)
दूरभाष नं.- 0771-4388811-15
ई-मेल आईडी – hr.ho@cgbank.in

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
कॉर्पोरेट कार्यालय, नया रायपुर